

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/365-2001-वि0 I (1) दिनांक चण्डीगढ़ 30-8-2001

श्वेता शयल पब्लिक स्कूल फतेहपुर-फुडरी (बैथल)

को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से उच्च स्तर की सम्बधता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

आर.डी. श्योकंद
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़


पृष्ठांकन क्रमांक

सम

दिनांक चण्डीगढ़ 3-9-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी बैथल को उनके पत्र क्रमांक जी-11/2001 / 1118 दिनांक 7-8-2001 के सन्दर्भ में ।
2. प्रचार्य / मुख्याध्यापक श्वेता शयल पब्लिक स्कूल फतेहपुर-फुडरी (बैथल)
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्प्यूसिटी सैन्टर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 11002.


अधीक्षक विद्यालय- 12/18
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़.